फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक - 04.06.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चेन स्नैचिंग की झूठी सूचना देने वाले वादी/अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बंधित वादी/अभियुक्त राहुल शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला निवासी मोहल्ला दीनदयाल बाग मसेनी चौराहा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. राहुल शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला निवासी मोहल्ला दीनदयाल बाग मसेनी चौराहा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 01.06.2026 को वादी राहुल शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला निवासी मोहल्ला दीनदयाल बाग मसेनी चौराहा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ द्वारा डॉयल 112 पर सूचना दी गई कि वादी अपने माताजी के साथ जलालाबाद जा रहा था रास्ते में डबरी तिराहे के पास 02 अज्ञात बाइक सवारो द्वारा वादी की माताजी के गले से सोने की चेन छीन ली है, अज्ञात युवको को मैने पकड़ने का प्रयास किया किन्तु पकड़ नही सका। घटना की सूचना पर उच्चाधिकारीगणों एवं थाना राजेपुर पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर मु0अ0सं0 83/26 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में निरीक्षण घटनास्थल, बयान वादी, पीडिता/चश्मदीद गवाह वादी की माता के बयान अंकित किये गए जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हुई । तब पीड़िता/चश्मदीद गवाह व वादी से अलग-अलग गहनता से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि वादी की शादी पूर्व में हो चुकी है, शादी के बाद पति-पत्नी के मध्य मतभेद हो गया तथा दोनो अलग रहने लगे तथा वादी की पत्नी अपने गहने लेकर चली गई। इसी बीच वादी के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाने व माताजी के हार्ट की मरीज होने के कारण वादी का काफी पैसा खर्च हो गया और वादी के ऊपर काफी कर्ज हो गया। इसी दौरान वादी द्वारा बंदूक के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया गया है, वादी पर ज्यादा कर्ज होने के कारण वादी द्वारा अपनी माताजी के साथ अपराधिक षड्यंत्र रचते हुए साजिश के तहत पुलिस को गुमराह करते हुए पुलिस को झूठी सूचना दी गई। गहन पूछताछ एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से घटना के दौरान छीनी हुई चेन वादी के कब्जे से बरामद कर वादी/अभियुक्त राहुल शुक्ला पुत्र राजीव शुक्ला निवासी मोहल्ला दीनदयाल बाग मसेनी चौराहा थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त राहुल शुक्ला उपरोक्त ने पुलिस को झूठी सूचना देना स्वीकार करते हुए अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त राहुल शुक्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह
02. उ0नि0 श्री आशुतोष सिंह
03. हे0कां0 मुकेश कुमार
04. रि0कां0 वंश कुशवाहा
05. रि0म0कां0 सुरेखा

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 04.06.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा महिला पर गंडासे से हमला करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/26 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त चरन सिंह पुत्र जयवीर निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को घटना में प्रयुक्त गंडासे सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः—

01. चरन सिंह पुत्र जयवीर निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 01.06.2026 को वादी श्री दिवारीलाल पुत्र दयाराम निवासी ग्राम मकूनगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ने कोतवाली कायमगंज पर तहरीर दी की वादी की पुत्री के देवर ने वादी की पुत्री के गंडासा मारकर घायल कर दिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 352/351(3)/109(1) बी0एन0एस0 बनाम चरन सिंह पुत्र जयवीर निवासी मोहल्ला प्रेमनगर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखिबर की सूचना पर अभियुक्त चरन सिंह उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त गंडासा सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त चरन सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 01.06.26 को मैं अपने घर पर सो रहा था मेरी भाभी घर पर ही सिलाई का काम कर रही थी तथा सिलाई करते समय काफी शोर शराबा व सिलाई मशीन की खटपट की आवाज आ रही थी मैने अपनी भाभी को कई बार समझाया गया लेकिन वह नही मानी और हम दोनो के बीच गाली-गलौज हो गई तभी मैने गुस्से मे आकर घर में रखे लोहे के गंडासे से उसके ऊपर हमला कर दिया। मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो।

अभियुक्त चरन सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 148/2026 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक गंडासा

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ला
02. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
03. का0 बबलू
04. का0 छोटेलाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।